



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-31/2015-651

दिनांक : 15.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन,
राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" (पुरानी-वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत एल0के0टी0एस0/साल एवं उसके सहयोगी पौधों तथा बाँस कल्म कटिंग से तैयार पौधों का ट्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रु0 3.612 लाख (तीन लाख एकसठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-27/2010-59/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.12.2013 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-27/2010- 18/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 60 " प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 3.612 लाख (तीन लाख एकसठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	3.508
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	0.104
कुल :-		3.612

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601101600103 तथा 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

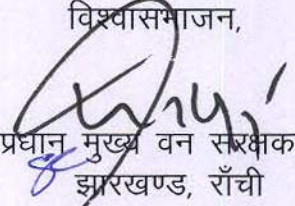
12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. यह योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए सरकार से स्वीकृत है जिसका पंचम वर्ष का रख-रखाव कार्य हेतु राशि उप आवंटित की जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में वनरोपण स्थल पर पौधों की उत्तरजीविता के अनुरूप ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।

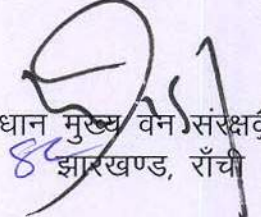
अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015-651 दिनांक-15.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

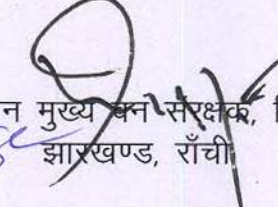
अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015-651 दिनांक-15.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना एवं शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत एल0के0टी0एस0, बॉस कल्म कटिंग से तैयार पौधों एवं साल पौधों का ट्रायल वनरोपण का वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii			iii
1	एल0के0टी0एस0 / साल एवं उसके सहयोगी पौधों का ट्रायल वनरोपण, 2 हे० (गढ़खटंगा एवं गम्हरिया में 1-1 हे०)	1.756	0.049	1.805
2	बॉस कल्म कटिंग से तैयार पौधों का ट्रायल वनरोपण, 2 हे० (गढ़खटंगा एवं गम्हरिया में 1-1 हे०)	1.752	0.055	1.807
योग :-		3.508	0.104	3.612

नोट :- विभागीय स्वीकृत्यादेश 59 दिनांक 17.12.2013 द्वारा स्वीकृत।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

उगाए गए एल०के०टी०एस०, बहुउद्देशीय प्रजाति (बीजा-साल, साल, आसन, प्यार, सोना-पाठा, करम आदि)/औषधीय (हर्रे, बहेरा, आँवला आदि) साल पौधों का ट्रायल वनरोपण हेतु कार्य दर तालिका

मजदूरी : 160.03 प्रति मानव दिवस
पीटों की दूरी - 2 मी० x 2 मी०
पौधों की संख्या - 2500 प्रति हेक्टेयर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
1	2	3	4	5	6
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : 229.90 रुपये				
1	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष)।	365	83913.50	0.00	83913.50
2	बाँस टाटी घेरान की मरम्मत।	10	2299.00	500.00	2799.00
3	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	5	1149.50	300.00	1449.50
4	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।		0.00	1500.00	1500.00
5	साईन बोर्ड का रख-रखाव एवं मापी आदि।	2	459.80	140.00	599.80
	योग :-	382	87821.80	2440.00	90261.80

बाँस कल्म कटिंग से तैयार पौधों का ट्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए दर तालिका

मजदूरी : 160.03 प्रति मानव दिवस
पीटों की दूरी - 4 मी० x 4 मी०
पौधों की संख्या - 625 प्रति हेक्टेयर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
1	2	3	4	5	6
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : 229.90 रुपये				
1	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष)।	365	83913.50	0.00	83913.50
2	बाँस टाटी की मरम्मत।	5	1149.50	500.00	1649.50
3	बाँस के पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाना, एंटी टरमाइट आदि का उपयोग।	9	2069.10	276.00	2345.10
4	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।		0.00	1500.00	1500.00
5	साईन बोर्ड का रख-रखाव एवं मापी आदि।	2	459.80	470.00	929.80
	योग :-	381	87591.90	2746.00	90337.90

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-31/2015/651

दिनांक - 15-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	30057	DRNFWL020 SHRI JABBAR SINGH CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	350,800.00 रुपये तीन लाख पचास हजार आठ सी
2	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Central Scheme :	30061	DRNFWL020 SHRI JABBAR SINGH CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	10,400.00 रुपये दस हजार चार सी

योग:

361,200.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन लाख इकसठ हजार दो सी

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL P.S. DIVAN, RANCHI